

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



एस.जी.-डी.एल.-अ.-01022021-224854
SG-DL-E-01022021-224854

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 39]	दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 29, 2021/ माघ 9, 1942	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 300
No. 39]	DELHI, FRIDAY, JANUARY 29, 2021/MAGHA 9, 1942	[N. C. T. D. No. 300

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह पुलिस (II)/स्थापना विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 25 जनवरी, 2021

सं. फा. 8/95/2020/गृ. पु.-II/पार्ट फा-I/240-253.—पूर्ववर्ती दिनांक 24.6.2020 की समसंख्यक अधिसूचना के अनुक्रम में जिसके अनुसार 11 विशेष लोक अभियोजकों को अधिसूचित किया गया था, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 20 मार्च, 1974 की अधिसूचना संख्या 11011/2/74-यूटीएल (आई) के साथ पठित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 24 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सक्षम प्राधिकारी एतद्वारा श्री अमित प्रसाद को, भारतीय दंड संहिता की धारा 124-क/153-क/153-ख/505 एवं 13 विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम पुलिस थाना-अपराध शाखा एवं दिनांक 6.3.2020 59/20 एवं भारतीय दंड संहिता की धारा 120ख/302/307/124-क/153-क/186/332/353/212/395/427/341/435/436/452/454/109/114/147/148/149/ एवं शस्त्र अधिनियम की धारा 25/27 तथा विधिविरुद्ध क्रियाकलाप निवारण (यूएपी) अधिनियम, 1967 की धारा 13/16/17/18 एवं पीडीपीपी अधिनियम की धारा 3/4 पुलिस थाना-अपराध शाखा के अन्तर्गत एफआईआर

संख्या 22/20 मामले में सभी कार्यवाहियों के संचालन के लिये एनआईए अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करते हैं।

यह माननीय उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
एल. के. गौतम, उप-सचिव (गृह-II)

HOME (POLICE-II) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 25th January, 2021

No. F. 8/95/2020/HP-II/Pt.file-I/240-253.—In continuation of earlier Notification of even no. dated 24-06-2020 vide which 11 Special Public Prosecutors were notified, in exercise of the powers conferred by sub-section (8) of section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), read with the Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. 11011/2/74-UTL (i) dated the 20th March, 1974, the Competent Authority is pleased to appoint Sh. Amit Prasad as Special Public Prosecutors under section 15 NIA Act to conduct all proceedings in Case FIR No 22/20 U/s 124-A/153-A/153-B/505 IPC & 13 Unlawful Activities (Prevention) Act, PS-Crime Branch, and 59/20 dated 06.03.2020 under sections 120B/302/307/124-A/153 A/186/ 332/353/ 212/395/427/ 341/435/436/452/454/109/114/147/148/149/IPC and 25/27 Arms Act and 13/16/17/18 of UAP Act, 1967 and 3/4 PDPP Act, PS-Crime Branch.

This issues with the approval of Hon'ble Lieutenant Governor, GNCT of Delhi.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of
the National Capital Territory of Delhi,
L. K. GAUTAM, Dy. Secy. (HOME-II)